Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to accord special category status to Bihar.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): बिहार का विकास विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों के चलते बाधित होता आ रहा है। बिहार के बंटवारे के बाद प्रमुख उद्योगों और खदानों के झारखंड में चले जाने के कारण बिहार की समस्या और गंभीर हुई है। आजादी के पहले बिहार में लागू प्रतिगामी स्थायी बंदोबस्ती ने राज्य में सामाजिक एवं संरचनात्मक विकास को बाधित किया तथा आजादी के बाद मालवाहक भाड़ा सामान्यीकरण की नीति के कारण तत्कालिक बिहार को कच्चे माले की प्रचुर उपलब्धता एवं लागत-लाभ का फायदा नहीं मिल सका। इस अवधि में जबकि दक्षिण एवं पश्चिम भारत के तटीय राज्यों में औद्योगिक विकास हुआ, मगर बिहार पिछड़ेपन का शिकार रहा। इसके अतिरिक्त, नेपाल एवं अन्य राज्यों से प्रवाहित होने वाली नदियों से प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना में हुए नुकसान की भरपाई हेतु बिहार को अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ता है। ऐसे कारण जो बिहार के नियंत्रण में नहीं है, की वजह से राज्य को प्रत्येक वर्ष बाढ़ की पीड़ा झेलनी पड़ती है। बाढ़ राहत, पुनर्वास एवं पुनःनिर्माण कार्यों पर काफी राशि व्यय होती है।

11वें वित्त आयोग में बिहार का हिस्सा 11.589 % था जो 12वें वित्त आयोग में घटकर 11.028 %, 13वें वित्त आयोग में 10.917 %, 14वें वित्त आयोग में 9.665 % हो गया। केंद्र सरकार 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को दिखाकर राज्य के हित की बात करती है, किंतु 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत राज्यों के अंतरण की जो 32 % से बढ़ाकर 42 % किया गया है, वह मात्र एक संरचनात्मक परिवर्तन है। एक ओर कर अंतरणों में वृद्धि के कारण राज्यों की जो हिस्सेदारी बढ़ी वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय योजनाओं एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती के कारण काफी हद तक समायोजित हो गई। फिर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों का भला कहाँ हुआ?

राज्य विकास के विभिन्न मापदण्डों जैसे- प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सांस्थिक वित्त एवं मानव विकास के सूचकांकों पर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। बिहार विभाजन के उपरान्त प्रमुख उद्योगों के राज्य में नहीं रहने के कारण सरकारी एवं निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार ने भी इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए बिहार को कोई विशेष मदद नहीं की है। इन्हीं कारणों से राज्य के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और आज परिस्थिति यह है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 58 % कम है।

अतः बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 के प्रावधानों, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों और रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से ही होगा । दूसरा बिहार एक थलरुद्ध राज्य है और ऐसे थलरुद्ध एवं अत्यधिक पिछड़े राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष एवं विभेदित व्यवहार का हकदार है । इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग को बिहार जैसे पिछड़े राज्य को राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए संसाधनों की कमी को चिन्हित कर विशेष सहायता देने की आवश्यकता है।